(487)

32

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 5(2) नविवि./3/99 जयपुर, दिनांक : 15.11.99

आदेश

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 7(1), राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7(1) के तहत वर्तमान में लीज डीड जारी करने पर लीज रेंट की राशि जो नियमों के अनुरूप उस क्षेत्र की आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग पर देय है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि नियमन प्रकरणों में उपरोक्त लीज रेंट की राशि प्रचलित आरक्षित दर के आधार पर वसूल न की जाकर नियमन राशि के आधार पर ही वसूल की जावे अर्थात् नियमन के लिए घोषित दरें ही उस क्षेत्र के लिए आरक्षित दरें मानी जावे। ये आरक्षित दरें उपरोक्त नियमों के तहत भू-आवंटन, नीलामी प्रकरणों पर लागू नहीं होगी। अतः समस्त नियमन प्रकरण नियमन राशि को ही आरक्षित दर मानते हुए निष्पादित किये जावें। यह छूट उसी स्थिति में देय होगी जब आवेदक द्वारा लीज रेंट एक मुश्त 10 वर्ष के लिये जमा करवाया जायेगा। लीज रेंट के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि लीज रेंट 10 वर्ष के लिये साथ एकमुश्त जमा करवाने की स्थिति में एकबारीय लीज माना जावेगा। यदि आवेदक द्वारा पृथक पृथक वर्ष में प्रतिवर्ष के आधार पर लीज रेण्ट जमा करवाया जावेगा तो लीज राशि उस क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दरों पर ही देय होगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त जारी किया गया है।

आज्ञा से,

(श्रीराम मीना)
उप शासन सचिव

(01)